

## कार्यालय सभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर

क्रमांक - एफ12(298)सर्वे/समुवस/2015-16/

दिनांक -

### वृक्षों के पातन एवं कार्य प्रारम्भ करने की अंतरिम स्वीकृति

जिला एवं वनमण्डल श्रीगंगानगर में वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन Diversion of 9.44 Ha forest land in favour of CPWD, Border Fence Zone for Strengthening of damaged fencing and providing CC pavement including replacement of barbed wire and concertina coil length 7.07 km in Ganganagar sector Rajasthan. (Proposal No.- FP/RJ/ROAD/41617/2019) प्रकरण में 9.44 हैक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक एबी/राज0/06/13/2021/एफ.सी./40 दिनांक 10.07.2021 द्वारा जारी की गई। प्रयोक्ता एजेसी के द्वारा उपरोक्त शर्तों की पालना कर दिए जाने के संबंध में उप वन संरक्षक, गंगानगर के द्वारा अवगत कराये जाने के फलस्वरूप भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा लीनियर प्रोजेक्ट हेतु जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 11-306/2014-एफसी दिनांक 28.08.2015 तथा राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक F.No. 1 (5) Forest/2010 Jaipur, Dated : 07.01.2022 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तों के अधीन प्रस्तावित क्षेत्र में शून्य वृक्ष के पातन सहित कार्य प्रारम्भ करने की अंतरिम स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

1. यह स्वीकृति, जारी करने की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगी।
2. सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर यह अंतरिम स्वीकृति प्रत्याहसित की जा सकती है एवं प्रयोक्ता अभिकरण के विरुद्ध वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अंतरिम स्वीकृति अनुसार 1 वर्ष की अवधि में कार्य अपूर्ण रहने की स्थिति में समय रहते अभिवृद्धि हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संबंधित उप वन संरक्षक के निर्देशानुसार/पर्यवेक्षण में कार्य किया जायेगा।

(हनुमाना राम)

सभागीय मुख्य वन संरक्षक  
बीकानेर

क्रमांक :- एफ12(296)सर्वे/समुवस/2015-16/8861-68

दिनांक - 05-12-22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निदेशक, (एफ सी डिवीजन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110001
2. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर, ए-218 एवं बी-216 अरण्य भवन झालाना सार्वजनिक क्षेत्र, जयपुर।
3. शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (आई.टी.) अरण्य भवन राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि इस स्वीकृति की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का भ्रम करावे।
5. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए अरण्य भवन राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना इस कार्यालय के पत्रांक एफ 12(296)सर्वे/समुवस/2015-16/7761 दिनांक 20.10.2022 एवं पत्रांक 8744 दिनांक 30.11.2022 से प्रेषित की गई है अतः कृपया प्रकरण में अतिम स्वीकृति जारी कराने का कष्ट करावे।
6. उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर को उनके पत्रांक एफ ( ) सर्वे/उवस/2022-23/7404 दिनांक 30.11.2022 द्वारा प्रस्तुत "No Violation report" के क्रम में दी जाकर निर्देशित है कि समय-समय पर निरीक्षण कर राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों की पालना सुनिश्चित करे।
7. एकजीयूटिव इजीनियर, सी.पी.डब्ल्यू.डी., बोर्डर फेन्स जोन, बोर्डर फेन्सिंग डिवीजन-VI, सेंट्रल फ्लिक बर्ड डिपार्टमेंट, 119 बी एन बी एस एक कैम्पस, जोधपुर रोड, जैसलमेर राजस्थान।
8. रक्षित पत्रावली।

सभागीय मुख्य वन संरक्षक  
बीकानेर

Pragmeel  
Accepted  
15/12